

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 412

दिनांक :- 31.5.2022

मुकदमा नंबर 86/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. करनाराम पुत्र हेराजराम 2. गंगादेवी पत्नी करनाराम जाति जाट निवासीयान मोरडा, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर		1. हडमानराम पुत्र केसाराम जाति मेगवाल निवासी उमरलाई 2. केहराराम पुत्र फुसाराम प्रजापत निवासी खेजडियाली 3. गुलाराम पुत्र केसाराम मेगवाल निवासी उमरलाई 4. मूलाराम पुत्र नगाराम जाट निवासी मोरडा 5. ओमप्रकाश पुत्र रूपाराम जाट निवासी उमरलाई 6. रामाकिशन पुत्र नामालुम प्रजापत निवासी खेजडियाली तह0 कल्याणपुर 7. राजस्थान सरकार मू. धारक जरिये तहसीलदार कल्याणपुर ।



आदेश

दिनांक :- 31.5.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा मोरडा पटवारी क्षेत्र कांकराला मू-निरीक्षक कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा न0 99/1 रकबा 20 बीघा, खसरा संख्या 100/1 रकबा 20-09 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 413

दिनांक :- 31.5.22

1. तहसीलदार कल्याणपुर को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।



उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा